शुल्क मुक्ति

उद्देश्य: इस योजना के अन्तर्गत उपयुक्त विद्यार्थियों के शुल्क मुक्ति इसलिए प्रदान की जाती है, ताकि वे आसानी से शिक्षा अर्जन कर सके। प्रत्येक कक्षा की कुल संख्या के 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को शुल्क मुक्ति और कुल संख्या में से पूर्ण शुल्क मुक्ति प्राप्त छात्रों की संख्या घटाकर शेष के 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को अर्द्ध शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है। स्नातकोत्तर और ऑनर्स कक्षाओं में सब संकाय विषयों को मिलाकर 10 प्रतिशत का आधार निश्चित किया जाता है।

पात्रता : राज्य सरकार से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार शुल्क मुक्ति हेतु पात्रता का निर्धारण किया जायेगा।

आय संबंधी मूल प्रमाण–पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृतसक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय सम्बन्धी मूल प्रमाण–पत्र संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/जिला परिषद् सदस्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

नोट:– यदि विद्यार्थी के पिता जीवित हैं तो उस अवस्था में माता, भाई, चाचा या अन्य कोई भी सम्बन्धी अभिभावक नहीं माना जायेगा।

आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की विधि

शुल्क मुक्ति के पात्र विद्यार्थी रू.1 (एक) शुल्क पर लेखाशाखा से निर्धारित फार्म प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र 11 अक्टूबर 2012 से 05 नवम्बर 2012 तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 05 नवम्बर के पश्चात् दिये जाने वाले आवेदन पत्र रद्द समझे जायेंगे। आवेदन के साथ सभी प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने चाहिए। इसमें गत वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंक–सूची की सत्यापित प्रति और आय के सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं।

नोटः– उपर्युक्त विवरण नियमों का सारांश मात्र है। रियायतें, प्रवेश तिथि पर लागू होने वाले राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार प्रदान की जाएंगी।

विद्यार्थियों को सहायता

1. छात्र–सहायता–कोष

जरूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तकें खरीदने, मासिक शुल्क और विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए महाविद्यालय के विद्यार्थी सहायता कोष से मदद दी जाती है। इस संदर्भ में विद्यार्थियों का चयन उनकी आवश्यकता और महाविद्यालय परिसर और उसके बाहर के उनके व्यवहार पर आधारित है। जिन विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय राज्य सरकार से प्राप्त निर्धारित सीमा से कम हो और अध्ययन संतोषप्रद हो, उन्हें इस कोष से सहायता दी जाती है।

2. छात्र–सहायता–निधि

निम्नलिखित कोटि के विद्यार्थी आवेदन न करें – अनुसूचित जाति, जनजाति, कोई भी छात्रवृत्ति/शुल्क मुक्ति पाने वाला, जिसके अभिभावक की कुल वार्षिक आय राज्य सरकार से प्राप्त निर्धारित सीमा से अधिक है। इन कोटियों में न आने वाले विद्यार्थी ही छात्र सहायता के लिए आवेदन करें।

3. बुक–बैंक

बुक–बैंक से जरूरतमंद विद्यार्थियों को पूरे वर्ष के लिए पुस्तकें दी जाती है। वे विद्यार्थी आवेदन न करें, जिनके अभिभावकों की कुल वार्षिक आय राज्य सरकार से प्राप्त निर्धारित सीमा से अधिक है। आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए।